<u>न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला</u> <u>बडवानी म.प्र.</u>

आप0प्र0क0— 358/2018 आर.सी.टी. कं. 337/18 संस्थापन दिनांक—29.06.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. राकेश पिता कालु कोली उम्र 25 साल,
- रिव पिता रूखिडिया बंजारा उम्र 24 साल, दोनो निवासीगण केरवा थाना ठीकरी, जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्तगण

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 29.06.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण पर दिनांक 20.03.2018 को समय—15:05 बजे स्थान— होस्टल के पीछे केरवा थाना ठीकरी में तितली भौंरा का खेल रूपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पाने का **धारा 13** सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.03. 2018 को कस्बा भ्रमण करते मुखबीर की सूचना पर कि, ग्राम केरवा में कुछ व्यक्ति अवैध लाभ कमाने के लिये तितली भौंरा का खेल रूपये पैसों से कर हार जीत का दाव लगाकर खेल कर रहे है, सूचना पर विश्वास कर पंचान बुधिया पिता बाबु एवं धर्मेन्द्र

\sim		
ान	ਹਰਹ	

आप.प्र.क. 358/2018 आर.सी.टी.कं. 337/18

संस्थापन दिनांक 29.06.2018

पिता कालु को सूचना से अवगत कराकर बताये स्थान पर पहुंचे पास में जाकर आड में से देखा तो दो—तीन व्यक्ति सोसायटी के पास गोलघेरा बनाकर ताश पत्तों को खेल रूपये पैसों से खेलकर हारजीत कर रहे थे, जिनको घेराबंदी कर पकडते एक व्यक्ति पकडा गया, जबिक दो—तीन व्यक्ति मौके पर से भाग गये। पुलिस के द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम राकेश पिता कालु कोली एवं रिव पिता रूखिडिया का बताया। आरोपीगण की तलाशी लेने पर राकेश कोली के पास 100/— नगद एवं 13 ताश के पत्ते एवं रिव बंजारा के पास 70/— रूपये नगद एवं 13 ताश के पत्ते एवं फंड से 180/— एवं 25 ताश के पत्ते कुल 52 ताश के पत्ते एवं उ50/— रूपये नगद समक्ष पंचान के समक्ष जप्त किये गये। थाना वापसी पर अप0 क् 0 108/18 पर प्रथम सूचना लेख कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— प्रकरण में अभियुक्तगण ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्तगण को दंड के परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है, किन्तु अभियुक्तगण के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को जुआ खेलना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छा पूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 13 द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 05— अभियुक्तगण **राकेश पिता कालु एवं रित पिता रूखिडया** को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में 100—100/— रूपये इस प्रकार कुल 200/— रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07—07 दिवस का कारावास भुगताया जावे।
- 06— प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्त धनराशि 350 / रूपये के संबंध में अन्य अभियुक्तगण या अन्य किसी ने इसी प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया है और इस राशि का स्वयं से जप्त होना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यह आदेशित किया

आप.प्र.क. 358/2018 आर.सी.टी.कं. 337/18 संस्थापन दिनांक 29.06.2018

जाता है कि यह धनराशि अपील अवधि पश्चात राजसात हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा। प्रकरण में जप्तशुदा तितली का पत्ता मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट हो जाएगी तथा अपील होने की दशा में इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0 मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म०प्र0